रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072021-228299 CG-DL-E-14072021-228299

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2621] No. 2621] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 14, 2021/आषाढ़ 23, 1943 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 14, 2021/ASHADHA 23, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

का.आ. 2826(अ).—आयकर अधिनिम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ 'हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड' (पैन AAATH2451C), जो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्ड है, को उद्भूत होने वाली निम्न विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, नामतः-

- क. नियोक्ता एवं कर्मचारियों के द्वारा श्रम कल्याण निधि में अंशदान;
- ख. अदा न किया गया संचय जो कर्मचारियों को देय हो चुका था परन्तु नियोक्ता के द्वारा 2 वर्ष की समयाविध के भीतर अदा नहीं किया गया हो;
- ग. अंशदान देरी से जमा करने एवं अदा न किए गए संचय पर दंड;
- घ. बोर्ड के स्टाफ को दिए गए ऋण एवं अग्रिम राशि पर ब्याज; तथा
- ङ. निवेश से प्राप्त ब्याज आय।
- 2. यह अधिसूचना उन शर्तों के अन्तर्गत प्रभावी होगी कि, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड-
 - क. किसी वाणिज्यक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
 - ख. वित्तीय वर्षों के दौरान गतिविधियां एवं विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी; और
 - ग. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधानों के अनुसार विवरणी दायर करेगा।

3886 GI/2021 (1)

- घ. जैसा कि आयकर अधिनिमय, 1961 की धारा 288(2) के स्पष्टीकरण में प्रावधान किया गया है, चार्टड एकांटेंट से इस प्रमाण पत्र के साथ कि उपर्युक्त शर्तें पूरी कर ली गई है लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित विवरणी के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट दायर करेगा।
- 3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2020-2021 में 01-06-2020 से 31-03-2021 की समयाविध के लिए एवं वित्त वर्ष 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 से भी लागू होंगी।

[अधिसूचना सं. 80/2021/फा. सं. 300196/30/2018-आईटीए-I]

प्रज्ञा पारमिता. निदेशक

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना को पूर्वप्रभावी प्रभाव देने से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2021

- **S.O. 2826(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Haryana Labour Welfare Board' (PAN AAATH2451C), a Board constituted by the State Government of Haryana, in respect of the following specified income arising to that Board, namely:-
 - (a) Contribution to the Labour Welfare Fund by the Employers and Employees;
 - (b) Unpaid accumulation which were due to employees but not paid to them within a period of 2 years by the Employer;
 - (c) Fine on delayed deposit of contribution and unpaid accumulation;
 - (d) Interest on loans and advances given to staff of the board; and
 - (e) Interest income received from investment.
- 2. This notification shall be effective subject to the conditions that Haryana Labour Welfare Board,-
 - (a) shall not engage in any commercial activity;
 - (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
 - shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
 - (d) shall file the Audit report along with the Return, duly verified by the accountant as provided in explanation to section 288(2) of the Income-tax Act, 1961 along with a certificate from the chartered accountant that the above conditions are satisfied.
- 3. This notification shall apply for the period from 01-06-2020 to 31-03-2021 in the financial year 2020-2021 and also from the financial years 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 and 2024-2025.

[Notification No. 80/2021/F. No. 300196/30/2018-ITA-I]

PRAJNA PARAMITA, Director

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072021-228298 CG-DL-E-14072021-228298

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2622] No. 2622] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 14, 2021/आषाढ़ 23, 1943 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 14, 2021/ASHADHA 23, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

का.आ. 2827(अ).— आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्दवारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ 'हिमाचल प्रदेश कम्प्यूटराइजेशन ऑफ पुलिस सोसायटी' (पैन AABAH0360G), जो कि हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक निकाय है को उस निकाय को होने वाली निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसुचित करती है, अर्थातः-

- क. अनुदान सहायता के रुप में प्राप्त राशि; और
- ख. हिमाचल प्रदेश कम्प्यूटराइजेशन ऑफ पुलिस सोसायटी के खाते में जमा अनुदान सहायता पर अर्जित ब्याज।
- 2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि हिमाचल प्रदेश कंप्यूटराइजेशन का पुलिस सोसायटी:-
 - क. किसी भी व्यावसायिसक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा:
 - ख. वित्तीय वर्षों के दौरान गतिविधि तथा निर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेंगी;
 - ग. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा; और
 - घ. जैसा कि आयकर अधिनिमय, 1961 की धारा 288(2) के स्पष्टीकरण में प्रावधान किया गया है, चार्टड अकाउंटेंट से इस प्रमाण पत्र के साथ कि उपर्युक्त शर्तें पूरी कर ली गई है लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित विवरणी के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट दायर करेगा।

3887 GI/2021 (1)

3. इस अधिसूचना को वित्तीय वर्षों 2018-2019, 2019-2020 और 2020-2021 को लिए लागू किया हुआ समझा जाएगा और वित्तीय वर्षों 2021-2022 और 2022-2023 के संबंध में लाग होगी।

[अधिसूचना सं. 81/2021/फा. सं. 300196/40/2018-आईटीए-I]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्व व्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2021

- **S.O. 2827(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Himachal Pradesh Computerization of Police Society', (PAN AABAH0360G), a body established by the State Government of Himachal Pradesh, in respect of the following specified income arising to that body, namely:-
 - (a) Amount received in the form of Grant-in-aid; and
 - (b) Interest accrued on Grant-in Aid deposited in the account of Himachal Pradesh Computerization of Police Society.
- 2. This notification shall be effective subject to the conditions that Himachal Pradesh Computerization of Police Society,-
 - (a) shall not engage in any commercial activity;
 - (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years;
 - (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961; and
 - (d) shall file the Audit report along with the Return, duly verified by the accountant as provided in explanation to section 288(2) of the Income-tax Act, 1961 along with a certificate from the chartered accountant that the above conditions are satisfied.
- 3. This notification shall be deemed to have been applied for the financial years 2018-2019, 2019-2020 and 2020-2021 and shall apply with respect to the financial years 2021-2022 and 2022-2023.

[Notification No. 81/2021/F. No. 300196/40/2018-ITA-I]

PRAJNA PARAMITA, Director

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.